न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—22 / 2021 (2021 / 53) वाद पत्र

अनवान

1. भैरूलाल पिता घीसा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदयलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहनलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु पिता सुरजमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गिरधारी पिता गोकल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भुरा पिता हजारी गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. कैलाश पिता राइमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रोशनलाल पिता राइमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लादुलाल पिता हजारी गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मियाराम पिता छोगा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. देवीलाल पिता उदा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. अम्बालाल पिता उदा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. उंकारसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. गिरधारीसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. महेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. फारूख मोहम्मद — वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—21.09.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम तोलास (आशाहोली) तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में वादी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 564 / 1 रकबा 0.53 हैक्ट भूमि खाता संख्या 47 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। वादी ने अपने नाम [illegible] मियो की पत्थरगढी हेतु एक आवेदन न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया [illegible] .2019 को पत्थरगढी हेतु आदेश जारी किया गया। जिसके प्रकरण संख्या [illegible] की प्रति पालना [illegible] पटवार हल्का व भू—अभिलेख निरीक्षक को भिजवाई गई। जिस [illegible] उनके द्वारा दिनांक [illegible] 2020 मौके पर वादी की आराजी संख्या 564 / 1 की पत्थरगढ़ी की गई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

04 का 0.08 हैक्ट, भूमि पर कब्जा पाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 का 0.10 हैक्ट, भूमि पर कब्जा पाया गया। उक्त प्रतिवादीगण का वादी की खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा पाया गया प्रमाण में मौका पर्चा दिनांक 04.06.2020 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण को अवैध कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने उक्त भूमि की पत्थरगढी होने के बाद प्रतिवादीगण को किये गये अवैध कब्जे को हटाने बाबत् कहा, तो उन्होंने अवैध कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा सभी ने संगठन बनाकर मेरी भूमि में की गई पत्थरगढ़ी के सरकारी निशानात को भी उखाड़ कर फेंक दिये। तथा पक्का निर्माण करने की धमकिया दी। इसी गरज की पालना में प्रतिवादीगण ने मेरी भूमि के रकबे पर जबरन जेसीबी चलाकर आनन फानन में सीमेंट के पीलर व तारबंदी कर दी। जिसकी वादी ने दिनांक 01.02.2021 को पुलिस थाना रायपुर में रिपोर्ट दी लेकिन कार्यवाही नही होने से उनके हौसले बुलन्द है। मरने मारने की धमकिया देने लगे। जिससे विवश होकर वादी को उक्त वाद पत्र बेदखली की डिक्री जारी फरमाये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित हो गया। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर अवैध रूप से तारबन्दी कर दी जिसके फोटोग्राप्स वादपत्र के साथ पेश है। अवैध कब्जे को विक्रय करने तथा मौके पर पक्का निमार्ण करने उतारू है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 द्वारा वादी के वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी पर किये गये अवैध कब्जे को हटाकर वादी को कब्जा दिलाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 16 को दिलाया जावे। साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 किसी प्रकार का स्थाई व पक्का निर्माण न तो स्वयं करे, न अन्य से करावें तथा किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वये करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 16 फौरमल पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर जमाबन्दी 2071 से 2074 की पेश की जो प्रदर्श 1 है एवं पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दिनांक 04.06.2020 की प्रति पेश की जो प्रदर्श 2 है। एवं फोटोग्राफ्स पेश किये जो प्रदर्श 3 है।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वादी के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगढ़ी करने पर प्रतिवादीयो का कब्जा पाया गया जिससे प्रतिवादीगणो को बेदखल कर कब्जा दिलाया जाने हेतु बाद डिक्री फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अवलोकन किया वादपत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी अनुसार ग्राम आशाहोली के आराजी संख्या 564/1 रकबा 0.53 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है

जो जरिये नामान्तकरण 1338 दिनांक 25.07.2017 को न्यायालय आदेश की पालना में दर्ज हुई है। वादी द्वारा पत्थरगढ़ी कराने पर संलग्न पर्चा मौका के अनुसार प्रतिवादीगणो का 0.18 है0 पर कब्जा पाया गया है जिसके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी समन प्राप्त होने के बाद भी कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादीगणो के पास कब्जे सम्बन्धी कोई साक्ष्य व रेकार्ड नही है। वादी खातेदार है। वादी के द्वारा वाद को प्रमाणित कराया है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 564/1 रकबा 0.53 है0 मे से 0.08 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को एवं 0.10 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि वादवर्णित वादी के नाम दर्ज भूमि से वादी को कोई दखलदांजी नही कर किसी प्रकार का स्थाई या पक्का निर्माण न तो स्वयं करे या न अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

21.09.2021

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—22/2021 (2021/53) वाद पत्र

अनवान

1. भैरूलाल पिता घीसा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदयलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहनलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालु पिता सुरजमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गिरधारी पिता गोकल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भुरा पिता हजारी गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. कैलाश पिता राइमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रोशनलाल पिता राइमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लादुलाल पिता हजारी गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मियाराम पिता छोगा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. देवीलाल पिता उदा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. अम्बालाल पिता उदा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. उंकारसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. गिरधारीसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. महेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह राजपूत नि. तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 564/1 रकबा 0.53 है0 मे से 0.08 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को एवं 0.10 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि वादवर्णित वादी के नाम दर्ज भूमि से वादी को कोई ... नहीं कर किसी प्रकार का स्थाई या पक्का निर्माण न तो स्वयं करे या न अन्य से कराये।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को ... लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

21-9.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा